झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
संस्थान—08/जानवर 04-03-2015 (खण्ड—10) सूची, दिनांक —

संकल्प

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प जार्मांक— 5977 दिनांक— 25.10.2019 के द्वारा श्री उज्जवल कांत प्रसाद, तदनन कर्यालयक अभियंता (ID- 3971) जलपथ प्रमण, इटालीयामगम के द्वारा झारखण्ड पेशन नियमावली के नियम— 435वीं के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित है।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री ददन चौबे, सेवानिवृत, झारप्रोसेट को जॉन्च पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत, झारप्रोसेट) विभागीय जॉन्च पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण संगठन अभिलेख विभाग को वापस कर दिया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा निर्माण विभाग का आदेश जार्मांक— 10412 दिनांक— 27.12.2019 द्वारा श्री रमेश कुमार दूबे, सेवानिवृत, झाप्रोसेट को जल संसाधन विभाग का विभागीय जॉन्च पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. अतः उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री रमेश कुमार दूबे, सेवानिवृत, झाप्रोसेट को जॉन्च पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय संकल्प जार्मांक— 5977 दिनांक— 25.10.2019 की अन्य कंडिकायें एवं शतां यथार्थत होंगी।

5. उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक—एक प्रति अनुवंश की प्रति के साथ :— श्री रमेश कुमार दूबे, सेवानिवृत, झाप्रोसेट, टीएस डिवीजन बिर्जिंग, गोलचक्कर, दुवा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाय।

हो/-
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संस्कृत सचिव
ज्ञापक:.................. रौंची/दिनांक 08/01/2020

प्रतिलिपि: – उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, रौंची/बेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रौंची को सूचनाध्यक्ष एवं आवश्यक कार्यालय प्रस्तुत।

(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव